रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3918] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 03, 2018/आश्विन 11, 1940
No. 3918] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 03, 2018/ASVINA 11, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5097(अ)—केंद्रीय सरकार, ने भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश का.आ. 2266(अ), तारीख 20 अगस्त, 2015 द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए अंदमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि तारीख 19 अगस्त, 2018 को समाप्त हो चुकी है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्राधिकरण का पुनगर्ठन किया जाना चाहिए:

अत:, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंदमान और निकोबार राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन	पदेन अध्यक्ष;
(2)	प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन) अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नाम निर्देशिती	पदेन सदस्य;
(3)	प्रधान सचिव (राजस्व), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नाम निर्देशिती	पदेन सदस्य;
(4)	सचिव (पर्यावरण), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नाम निर्देशिती	पदेन सदस्य;

(5)	सचिव (पोत परिवहन), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नाम निर्देशिती	पदेन सदस्य;
(6)	सचिव (मत्स्य पालन), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नाम निर्देशिती	पदेन सदस्य;
(7)	सचिव (पर्यटन), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नाम निर्देशिती	पदेन सदस्य;
(8)	प्रो. रामचंद्रन, भूतपूर्व कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	सदस्य;
(9)	निदेशक, समुद्र प्रबंधन संस्थान (आईओएम), अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	पदेन सदस्य;
(10)	प्रमुख, अंदमान और निकोबार टीम, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य;
(11)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीआरजेड एंड एफसी), नोडल अधिकारी	पदेन सदस्य-सचिव;

2. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(क) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित द्वीप तटीय विनियमन जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईसीआरजेड कहा गया है) तथा एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईआईएमपी कहा गया है) के अनुसार हैं और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई द्वीप संरक्षण जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् आईपी जेड कहा गया है) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ख) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट आईपीजेड क्षेत्रों में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(ग) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) प्राधिकरण, आईपी जेड क्षेत्रों और आईसीआर जेड तथा आईआईएमपी के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिशें देगा;

(ङ) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(च) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(छ) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(ज) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित हो ।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके

कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाईयां, न्यायालय मामले, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश भी हैं और अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र की अनुमोदित आईसीआर जेड तथा आईआईएमपी से संबंधित सूचना डालेगा ।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए-III(भाग-IV)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 2018

S.O. 5097(E).—Whereas, by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2266(E), dated the 20th August, 2015, the Central Government had constituted the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority for a period of three years and the term of the said Authority has since expired on 19th August, 2018:

And, whereas, the Central Government is of the view that the Authority must be reconstituted:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

S. No.	Members	Status
(1)	Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration	Chairman, ex-officio;
(2)	Pr. Secretary (Environment and Forests), Andaman and Nicobar Administration or his nominee.	Member, ex-officio;
(3)	Pr. Secretary (Revenue), Andaman and Nicobar Administration or his nominee.	Member, ex-officio;
(4)	Secretary (Environment), Andaman and Nicobar Administration or his nominee.	Member, ex-officio;
(5)	Secretary (Shipping), Andaman and Nicobar Administration or his nominee	Member, ex-officio;
(6)	Secretary (Fisheries), Andaman and Nicobar Administration or his nominee	Member, ex-officio;
(7)	Secretary (Tourism), Andaman and Nicobar Administration or his nominee	Member, ex-officio;
(8)	Prof. Ramachandran, Former VC, Anna University, Chennai	Member;
(9)	Director, Institute of Ocean Management (IOM), Anna University, Chennai	Member, ex-officio;
(10)	Head, Andaman Nicobar Environment Team, Port Blair	Member;
(11)	Principal Chief Conservator of Forests (CRZ&FC), Nodal Officer	Member Secretary, ex-officio.

2. The Authority shall have its headquarter at Port Blair.

3. The quorum of the meeting of the authority shall be one third of the total number of its members.

4. A member, other than an ex-officio member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union territory of Andaman and Nicobar, shall take the following measures, namely: -

   (a) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Island Coastal Regulation Zone (hereinafter referred to as ICRZ) and Integrated Islands Management Plan (hereinafter referred to as IIMPs) and within the requirements of the Island Protection Zone (hereinafter referred to as IPZ) Notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority as specified in the said notification, within a period of sixty days from date of receipt of such application;

   (b) the Authority shall regulate all developmental activities in the IPZ areas as specified in the said notification;

   (c) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

   (d) the Authority shall examine the proposals received from the Union territory Administration for changes or modifications, in the classification of IPZ areas, and in the ICRZ and IIMP and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

   (e) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

   (f) the Authority shall inquire or review cases of alleged violations or contraventions of the provisions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organization and take appropriate action as per the law;

   (g) the Authority is authorized to file complaints under section 19 of the said Act;

   (h) the Authority shall take such action as may be required under Section 10 of the said Act to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post on information relating to its function, including the agenda, minutes of the meetings, decisions taken, in each meetings, recommendation for matters on violations and contraventions of the said notification and the actions taken on such violations and contraventions, court matters, including the orders of the courts and the approved ICRZ and IIMPs of the Union territory of Andaman and Nicobar.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No. 12-5/2005-IA.III(Vol.IV)]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.08 22:00:47 +05'30'